

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,
विशेष सचिव,
उपराज्य प्रशासन।

सोचा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
३०प्र०, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय: शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक वाहुत्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नालों नियन्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना के कार्यों को पूर्ण करने हेतु "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-37 में प्राविधानित धनराशि से जनपद-सिद्धार्थनगर की 10 परियोजनाओं हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਦਿਨਾਂਕ : 31 ਮਈ, 2018

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4682/76/एक/एबीएमबीटीवाई/2015-16, दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 एवं जिलाधिकारी/अध्यक्ष, इडा, सिद्धार्थनगर के पत्र संख्या-404/इडा/अ0विम0ब0यो0/ 2017-18 दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत जनपद-सिद्धार्थनगर की नगर पालिका परिषद, सिद्धार्थनगर की विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इंटरलाकिंग रोड व नाली लिमांग कार्य से सम्बन्धित 10 परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु शासनादेश संख्या-262/2018/33/69-1-18-36(अ0सं0-37)/2016, दिनांक 31 मार्च, 2018 द्वारा द्वितीय/अंतिम किशत के रूप में ₹ 197,995 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी किन्तु वित्तीय वर्ष 2017-18 में उक्त धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं हो सका था। अतएव उक्त शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2018 को निरस्त करते हुए जनपद-सिद्धार्थनगर की नगर पालिका परिषद, सिद्धार्थनगर की उक्त 10 परियोजनाओं हेतु "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित द्वितीय/अंतिम किशत की धनराशि ₹ 197,995 लाख (रूपये एक करोड़ सत्तानवे लाख निव्यानबे हजार पांच सौ मात्र) की, निम्नलिखित शर्तों/प्रतिवर्वदों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवरुथा का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।

2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। १५।

क्रमांक:.....2

3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ,मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्यों का विवरण, उनकी लागत, कार्य पूर्ण होने की अवधि, कार्यदायी संस्था व उससे संबंधित अभियन्ता एवं परियोजना अधिकारी का नाम व फोन नम्बर कार्य स्थल पर नोटिस बोर्ड लगाकर सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त सभी विवरण एवं योजना का आगणन इडा की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
8. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित इडा का होगा।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
10. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप हैं तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकित नहीं की गई है।
11. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित इडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्भित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
12. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृति/पुनरावृति न हो, यह सूडा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
13. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव, विशेष सचिव अथवा संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन के प्रतिस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।

14. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाठचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
 15. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
 16. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
 17. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2019 तक व्यय हो सके।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक “2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-04-मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान” के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-1/2018/वी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 तथा समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

भवींदीय
३१/१८

(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

संख्या-340 /2018/33(1)/69-1-2018, तदिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित कों सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, ३०प्र०, २० सरोजनी नायदू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सिद्धार्थनगर।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
7. नियोजन अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या- ३४८ /2018/33/69-1-2018-36(अ0सं0-37)/2016 दिनांक ३१ मई, 2018 का
संलग्नक।

(धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में स्थीकृत योग्य धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1.	सिद्धार्थनगर	न०पा०प० सिद्धार्थनगर	मो० बुद्धनगर में हाजी जन्नू के मकान से शफीक, जीलानी व अन्य के घर तक इंटरलाकिंग सड़क, नाली व ढक्कन निर्माण का कार्य।	30.08	15.04
2.	तदैव	तदैव	मो० बुद्धनगर में पिच रोड से कब्रिस्तान, जमाल असगर, शशिकला, वकील साहब, देवी लाल श्रीवास्तव व अन्य के घर तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली व ढक्कन निर्माण का कार्य।	38.11	19.055
3.	तदैव	तदैव	मो० इन्दिरा नगर में अमित सिंह के घर से गायजी मन्दिर होते हुए अवनेन्द्र व बृज कुमार के मकान होते हुए कब्रिस्तान एवं समय माता के स्थान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली व ढक्कन निर्माण का कार्य।	38.74	19.37
4.	तदैव	तदैव	मो० इन्दिरा नगर में राम नरेश के घर से सिंहशरी इ०का० होते हुए रघुपति जायसवाल घि०म०इ०का० तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली व ढक्कन निर्माण का कार्य।	38.64	19.32
5.	तदैव	तदैव	मो० शिवाजी नगर में लुम्बिनी रोड से शम्भू प्रसाद, खेदू व कैलाश पंक्षी के घर तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली व ढक्कन का निर्माण का कार्य।	37.22	18.61
6.	तदैव	तदैव	मो० शिवाजी नगर में कमलेश के मकान से राजवीय क०इ०का०, कृष्ण बाल विद्या मन्दिर व अनूप यादव के घर होते हुए सौरभ के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली ढक्कन का निर्माण का कार्य।	38.22	19.11
7.	तदैव	तदैव	मो० बुद्धनगर में मो० सैदा के घर से मु० हरिश एवं श्री नवदेवर के मकान होते हुए डर्मिला के मकान एवं सिंहशरी मन्दिर व अन्य के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	24.80	12.40
8.	तदैव	तदैव	मो० बुद्धनगर में राम वेलास के मकान से बरन, रशीद, आकाश के घर होते हुए गोरख सिंह व अन्य के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	38.81	19.405
9.	तदैव	तदैव	मो० बुद्धनगर में मण्ड जी के मकान से शिव शंकर प्रजापति, तिलकराम व अन्य के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	50.39	25.195
10.	तदैव	तदैव	मो० बेलसड़ में वकील के घर से जैस मोहम्मद के घर होते हुए आफिसर्स कालोनी तक इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	60.98	30.49
योग				395.99	197.995

(रूपये एक करोड़ सत्तानवे लाख निन्यानवे हजार पाँच सौ मात्र)।


(अमृतलालनन्द ब्रह्मचारी)

मनु सचिव।